बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–800 001

(पंजीयन सं०–633/2003)

E-mail : basa_bihar@yahoo.com

पत्रांक : 102 दिनांक 4/8/2008

अध्यक्ष

अरूण चन्द्र मिश्र

(M) 9835281295
(M) 9939469410
(R) 0612-2526123

\+ + +

उपाध्यक्ष

* शम्भु नाथ मिश्र

(M) 9431619672
(O) 9334387630
(F) 0612-2504498
(R) 0612-2288139

* अखलाक अहमद

(M) 9934280177
(O) 0612-2219693

\+ + +

महासचिव

सुशील कुमार

(M) 9431091417
(O) 9431818484

\+ + +

संयुक्त सचिव

* राजयनन्द बडियार

(M) 9431093157
(O) 9431818010

* अनिल कुमार

(M) 9431409463

\+ + +

कोषाध्यक्ष

चन्द्र शेखर सिंह

(M) 9334131351

\+ + +

संयुक्त कोषाध्यक्ष

सोमेश बहादुर माथुर

(M) 9431407901
(O) 9334387555

सेवा में,

प्रधान सचिव,
गृह विभाग,
बिहार, पटना।

विषयः–कर्मठतापूर्वक कार्य करने के बावजूद पुलिस द्वारा श्रीमति वीणा प्रसाद, अंचलअधिकारी सह प्र0 वि पदाधिकारी, बहादुरपुर (दरभंगा) को अवैध रूप से फंसाये जाने के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि दरभंगा जिला के बहादुरपुर प्रखंड के ग्राम पंचाय राज खैरा टोले जलेश्वर में महादलितों के इन्दिरा आवास में अनियमितता की सूचना मिलने पर श्रीमि वीणा प्रसाद, प्रखंड विकास पदाधिकारी, बहादुरपुर (दरभंगा) द्वारा तत्क्षण जाँच की गयी तथा शिकाय सत्य पाकर बहादुरपुर थाना में कांड सं0 99/08 में 1. श्री जगदीश प्रसाद, पंचायत सचिव 2. श्र हरिशंकर सिंह, प्र0 कृ0 पदा0 3. श्री श्याम सिंह, बिचौलिया 4. श्री प्रेम साह ईंट भठ्ठा मालिक 5. श्र रामभरोस साह तथा 6 डाकघर के कुछ कर्मचारियों के विरूद्ध दर्ज करायी गयी।

पुलिस जाँच में न तो किसी लाभुक ने और न ही किसी अन्य ने श्रीमति वीणा प्रसाद, प्रखं विकास पदाधिकारी, बहादुरपुर (दरभंगा) की सत्यनिष्ठा पर ऊँगली उठायी। Cr. P.C. 164 के तह न्यायालय में किसी भी लाभार्थी ने उनके विरूद्ध कोई बयान नहीं दिया परन्तु राजनीतिक दबाव में आक स्थानीय पुलिस ने बिना किसी प्रमाण के आश्चर्यजनक ढंग से श्रीमति वीणा प्रसाद, प्रखंड विका पदाधिकारी, बहादुरपुर (दरभंगा) को आरोपी बना दिया तथा गिरफ्तार करने का आदेश दिया।

उल्लेखनीय है कि गृह विभाग के पत्रांक ई/वि0–01–425/07–5211 दिनांक 9 जून 2008 सभी जिला पदाधिकारी/आरक्षी अधीक्षकों को निदेश दिया गया है कि ''सम्यक विचारोपरांत राज्य सरक द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि यदि किन्ही परिस्थितियों में यह पाया जाता है कि किसी विभाग अथ संगठन से संबंधित किसी पदाधिकारी/कर्मी के द्वारा कोई ऐसा कार्य किया गया है, जिस विभाग/संगठन/सरकार को क्षति हुई है, तब ऐसी परिस्थिति में संबंधित विभाग/संगठन के प्रधान परामर्श से ही आपराधिक मामला दर्ज करेगा।'' फिर भी वगैर प्रशासी पदाधिकारी के आदेश के ऐ पदाधिकारी पर प्राथमिकी दर्ज करना जिन्होंने ही इस मामले में सर्वप्रथम प्राथमिकी दर्ज करायी है, सरक के आदेश के विपरीत है।

अतः अनुरोध है कि इसकी समीक्षा कर श्रीमति वीणा प्रसाद का नाम प्राथमिकी से विलोपित कर की कृपा की जाय ताकि पदाधिकारी निर्भीक होकर सरकार के कार्य का निर्वहन कर सके।

विश्वासभाजन

अनु0– 1. बिचौलियों पर प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु पत्र
2. लाभुकों का बयान
3. डायरी की प्रति (DSP की पर्यवेक्षण टिप्पणी वाला भाग)

Sushil 4/8/08
(सुशील कुमार)
महासचिव,
बासा, पटना।

प्रतिलिपिः–श्रीमति वीणा प्रसाद, प्रखंड विकास पदाधिकारी, बहादुरपुर (दरभंगा) को सूचनार्थ प्रेषित।

Sushil 4/8/08
महासचिव,
बासा, पटना।

पंचायत सचिव का बयान तथा 164 के तहत लाभुकों का बयान संलग्न - अनु० 2)